रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022024-251960 CG-DL-E-09022024-251960

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

No. 554]

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फ़रवरी, 2024

का.आ. 584(अ).—भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया चरण-II) के दिशानिर्देशों के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय की दिनांक 28 मार्च, 2019 की अधिसूचना में आंशिक आशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

- 1. ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों के मामले में 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना के खंड-26 में संदर्भित वाहन लागत का अर्थ वाहन का "एक्स-फैक्ट्री कीमत" अर्थात "अनुप्रयोज्य करों से पूर्व कारखाने में वाहन की कीमत" होगी।
- 2. इसके अलावा, ई-दुपिहया वाहनों के संबंध में दिनांक 19/05/2023 के संदर्भ संख्या फा.सं. 6 (02) 2019-एनएबी-II (ऑटो) (19155)] द्वारा जारी अधिसूचना लागू रहेगी।

[फा. सं. 6(02)2019-एनएबी-II(ऑटो) (19155)]

डॉ. हनीफ़ क़रैशी, अपर सचिव

884 GI/2024 (1)

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2024

- **S.O. 584(E).**—In partial modification of the Ministry of Heavy Industries notification dated 28th March, 2019 in respect of Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) guidelines, the following amendment is made: -
- 1. In case of e-3W and e-4W, the cost of vehicle, referred to in clause 26 of the notification dated 8th March, 2019 shall mean "ex-factory price" of vehicle i.e. "price of vehicle at factory gate before applicable taxes".
- 2. Further, notification issued vide reference no. F. No. 6(02)2019-NAB-II(Auto) (19155)] dated 19/05/2023 with regard to e-2w shall remain in force."

[F. No. 6(02)2019-NAB-II(Auto) (19155)]
Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.